


फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
उमराव बनाग ग्यारसीदेवी वगै०

सं संख्या : प्रा.पत्र 64 / 2023

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	विशेष विवरण
	25.07.2025	<p>पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने जाहिर किया की सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर मनबंट के अनुसार काबिज काश्त होकर काश्त कर रहे हैं, प्रार्थीगण उक्त आराजीयात का सहखातेदार काश्तकार है, अप्रार्थीगण बिना विभाजन करवाये ही भूमि के विशिष्ट भूभाग पर निर्माण कार्य एवं विक्रय करने पर उत्तारू है, यदि ऐसा करते हैं तो प्रार्थीगण अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने आपत्ति की। बहस तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूकि बिना विभाजन के अप्रार्थीगण भूमि का बेचान अथवा निर्माण कार्य करते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो सकती है अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वादी के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम सिरसी पटवार हल्का राधाकिशनपुरा तहसील जालसू जयपुर के खसरा नम्बर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 98 कुल कित्ता 7 रकबा 9.64 में मौके की यथा स्थिति बनाये रखे तथा एकदुसरे की सीव डोल व बाउण्ड्री सीमा चिन्हो व रास्तो में किसी प्रकार की छेड छाड नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>


सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

